FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगन लाल जानी, जाति– ब्राह्मण, निवासी–होटल सरस्वती कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
	फर्मः	भिखी भोजनालय, पोलोग्राउन्ड के सामने माउन्ट आबू, जिला– सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्याः 18/2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
02.3.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त त्रिलोक जानी के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 02.3.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी त्रिलोक जानी की ओर से कश्यप जानी पुत्र त्रिलोक जानी, भिखी भोजनालय, माउन्ट आबू जो कि प्रतिवादी का पुत्र है वह उपस्थित हुये। प्रतिवादी के पुत्र कश्यप जानी को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी के पुत्र ने लिखत जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 28.11.2020 को मेरी फर्म भिखी भोजनालय, माउन्ट आबू से जिस पनीर (अमूल) का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेंडर्स पाया गया है। मैं मेरी [illegible] कम्पनी के पनीर का उपयोग करता हूँ, जिस [illegible] र का नमूना लिया गया था भूलवश उसका बिल नहीं ले पाया [illegible] विष्य में इस प्रकार की गलती [illegible] प्रकरण से मुक्त करावे। ......लगातार	02/03/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 14:07:52 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.18/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए

प्रकरण में प्रतिवादी के पुत्र कश्यप जानी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड)का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी के पुत्र कश्यप जानी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 28.11.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म भिखी भोजनालय, पोलोग्राउण्ड के सामाने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगन लाल जानी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– होटल सरस्वती कम्पाउण्ड, पोलोग्राउन्ट के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को पनीर (अमूल ब्राण्ड) की सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए भोजनालय के अन्दर, स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद पनीर (अमूल ब्राण्ड) लगभग 3 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर (अमूल ब्राण्ड) को एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1299 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1005/Act/2020/1003 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म भिखी भोजनालय, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबाकरर्ता एवं मालिक प्रतिवादी त्रिलोक जानी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (अमूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:52 IST
Reason: SelfAttested

....लगातार

अ.मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्मनामा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.18/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत त्रिलोक जानी पुत्र श्री मगनलाल जानी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– होटल सरस्वती कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भिखी भोजनालय, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी त्रिलोक जानी के पुत्र कश्यप जानी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी त्रिलोक जानी के पुत्र कश्यप जानी ने प्रतिवादी त्रिलोक जानी पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का Axis Bank, शाखा सिरोही द्वारा जारी डी.डी. नंबर 001624 दिनांक 02.3.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया। अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 2/3/2021 (गितेश श्री मालवीया) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya Date: 2021.06.09 17:07:52 IST Reason: SelfAttested	